राजस्थान सरकार
ऊर्जा विभाग

क्रमांकःप.7(22)ऊर्जा/2016 जयपुर दिनांक 05.10.2018

अध्यक्ष,
राजस्थान डिस्कॉम्स्,
जयपुर।

विषय :– कृषि उपभोक्ताओं (सामान्य श्रेणी–ग्रामीण) को प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी) द्वारा अनुदान देकर विद्युत विपत्र राशि का पुनर्भरण।

महोदय,

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके पत्र जेपीडी/अध्यक्ष डिस्कॉम्स/क्रमांक 812 दिनांक 04.10.2018 के क्रम में कृषि टैरिफ सब्सिडी के अलावा राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सामान्य श्रेणी (ग्रामीण) के कृषि उपभोक्ताओं (Block Supply) द्वारा अपने स्तर पर वहन की जाने वाली विद्युत विपत्र की राशि (अधिकतम 10,000/– रु. प्रतिवर्ष) का राज्य सरकार द्वारा निम्न शर्तों के अधीन पुनर्भरण किया जावेगाः–

1. विद्युत वितरण निगमों द्वारा वर्तमान बिलिंग व्यवस्था के अनुसार ही कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र जारी किये जायेंगे।
2. कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत विपत्र की राशि जमा करवाने के उपरांत उसका पुनर्भरण अनुदान के रूप में किया जायेगा।
3. अनुदान राशि विद्युत वितरण निगमों की कोई भी राशि संबंधित उपभोक्ता के विरुद्ध बकाया नहीं होने पर ही देय होगी।
4. इस योजना के अन्तर्गत आनुपातिक आधार पर कृषि उपभोक्ताओं को उनके द्वारा भुगतान किये गये विद्युत विपत्र अधिकतम 833/– रु. अनुदान प्रतिमाह (Provisional) का पुनर्भरण किया जावेगा जो कि प्रति उपभोक्ता प्रतिवर्ष अधिकतम 10,000/– रु. का होगा किन्तु वित्तीय वर्ष 2018–19 में अधिकतम अनुदान 4167/– रु. का होगा।
5. यदि किसी माह उपभोक्ता को देय पुनर्भरण राशि रू. 833/– से कम है तो इसका समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के आगामी माहों में किया जायेगा।
6. वर्ष के मध्य में नया कनेक्शन जारी होने की स्थिति में अनुदान की वार्षिक सीमा आनुपातिक रूप से देय होगी।
7. यह योजना बिलिंग माह नवम्बर, 2018 से लागू होगी।

उपरोक्त स्वीकृति वित्त विभाग की सहमति में प्रदान की जा रही है।

भवदीय,

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

सहायक शासन सचिव

Scanned by CamScanner